न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

मांगीलाल बनाम सरकार

प्र०नं० – 46/2024

19/7/24 पत्रावली पेश हुई। प्र० अ० लोक अदालत कार्य में व्यस्त। पत्रावली दिनांक 19/7/24 को पेश हो।

19/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 2/8/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

2/8/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त। मिसल शामिल किया गया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 12/8/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

12/8/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश हेतु विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 एल आर एक्ट को स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली कार्यवाही पूर्ण होकर नम्बर से कम हो तथा बाद दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी

(42)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
46/2024	02/04/2024	12.08.2024

1. मांगीलाल पुत्र श्योलाराम उम्र 63 वर्ष
2. बद्री पुत्र श्योलाराम उम्र 61 वर्ष
3. लालाराम पुत्र श्योलाराम उम्र 59 वर्ष
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र गोपाल उम्र 60 वर्ष

समस्त जातियान हरियाणा ब्राहमण निवासीयान ग्राम गुढावास नेवर तहसील आंधी जिला जयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार तहसील आंधी, जिला जयपुर ।

अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

श्री रामकरण शर्मा — वकील प्रार्थी।

प्रार्थनापत्र बाबत् नक्शा दुरूस्ती इन्द्राज एवं नक्शा तरमीम अन्तर्गत धारा 131,132,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

—:निर्णय :—

प्रार्थी नें जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थी नक्शा दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131,132,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त तन्हा खातेदारी भूमि वाके ग्राम गुढावास नेवर पटवार हल्का नेवर तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित खातेदारी भूमि गत खसरा नंम्बर 115 भूमि दर्ज रिकार्ड तरमीम शुदा रही है जिसको अवधि बंदोबस्त 10 मार्च 2008 से 9 मार्च 2028 में परिवर्तित हाल खसरा नम्बर 149 रकबा 1.4100है0, खसरा नम्बर 150 रकबा 0.0300है0 कायम किये गये है। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि का हाल नक्शा पूर्व नक्शें से भिंन्न तरमीम कर दिया गया है जो गलत है इसलिये उक्त प्रकरण नक्शा दुरूस्ती हेतु पेश करना आवश्यक हुआ है। खातेदार रामा देवी पत्नि श्योलाराम फौत हो चुकी है। जिसके वारिसान प्रार्थी संख्या 1 ता 3 है जो पूर्व से ही रिकार्डेड खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा रामा देवी के अधिकार अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को कानूनन प्राप्त है। प्रार्थीगण की भूमि हाल खसरा नम्बर 149 व 150 जिसके साबिक खसरा नम्बर 115 दर्ज रिकार्ड रहा है। जो तरमीम शुदा नक्शा में दर्ज था तथा प्रार्थीगण मे नजरी नक्शा में दर्शित पीले रंग की जगह पक्का कुआ निर्मित करवाया था जिसकी नक्शा में तरमीम करते समय खसरा नम्बर 149 के मध्य मे दर्ज कर दी ओर खसरा नम्बर 149 अंकित कर दिया तथा दूसरे भाग को खाली छोड दिया गया तथा हाल सेग्रीगेशन की कार्यवाही के दौरान राजस्व कर्मचारियों ने गलत प्रकार से खसरा नम्बर 149 के भाग को खसरा नम्बर 154 में दर्ज कर दिया गया जो कि गलत है जिसे दुरूस्त किया जाकर हाल खसरा नम्बर 154 में दर्ज कर दिया गया जो कि गलत है। जिसे दुरूस्त किया जाकर हाल खसरा नम्बर 149, 150, 154 की नक्शा तरमीम पूर्व नक्शें अनुसार दर्ज रिकार्ड की जावें जिसके प्रार्थीगण अधिकारी है। हाल खसरा नम्बर 149, 150 के साबिक खसरा नम्बर 115 रहे है तथा हाल खसरा नम्बर 154 के साबिक खसरा नम्बर 119 दर्ज रिकार्ड रहे है तथा हाल खसरा नम्बर 149, 150, 154 की नक्शा तरमीम पूर्व खसरा नम्बर 115 व 119 के अनुसार दर्ज रिकार्ड कर हाल नक्शा दुरूस्त किया जावें। अतः प्रार्थीगण के गत खसरा नम्बर 115 की नक्शा तरमीम जो प्रार्थीगण को जारी पास बुक में भी नक्शा

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

कायम कर दी गई है व पूर्व नक्शें में भी उक्त तरमीम रही है के अनुरूप हाल खसरा नम्बर 149, 150 की नक्शा तरमीम की जावें तथा हाल खसरा नम्बर 154 की नक्शा तरमीम गत खसरा नम्बर 119 अनुसार एवं प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 149, 150 की नक्शा तरमीम गत खसरा नम्बर 115 अनुसार हाल नक्शा तरमीम दुरूस्त कर पूर्व नक्शें अनुसार हाल नक्शा में तरमीम करने के आदेश फरमावें।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी (पेरोकार सरकार तहसीलदार) ने उपस्थित होकर अपने पत्र कमांक/ .आर..टी./2024/450 दिनांक 14.05.24 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया गया राजस्व ग्राम गुढावास नेवर के प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि के गत खसरा नम्बर 115 व नवीन खसरा नम्बर 149, 150 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसके हाल नक्शा व पूर्व नक्शों में भिन्न तरमीम है। जिसका राजस्व रिकार्ड पूर्व नक्शा व वर्तमान नक्शों का अवलोकन किया गया है। हाल खसरा नम्बर 149, 150 जिसके साबिक खसरा नम्बर 115 है तथा खसरा नम्बर 154 के साबिक खसरा नम्बर 119 दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान खसरा नम्बर 149 में मिला दिया गया। जिससे की खसरा नम्बर 154 की उत्तरी सीमा कोक हटा कर खसरा नम्बर 149 में मिला दिया गया। जिससे की खसरा नम्बर 154 का रकबा अधिक हो गया व खसरा नम्बर 149 में मिला दिया गया। जिससे की खसरा नम्बर 154 का रकबा अधिक हो गया व खसरा नम्बर 149 व 150 की सीमा पर बंद कर दिया गया। जिससे की खसरा नम्बर 149 का रकबा कर हो गया। जो कि राजस्व रिकार्ड की अशुद्दि है। अतः खसरां नम्बर 149, 150, व 154 का नवीन नक्शा ट्रेस व पुराना नक्शा ट्रेस नकल बनाकर लाल स्याही से दर्शाया गया है कि वर्तमान नक्शों अनुसार शुद्व किया जावें। जिससे की खसरा नम्बर 149, 150 का रकबा व नक्शा शुद्व हो सकें। अतः गत खसरा नम्बर 115 के नवीन खसरा नम्बर 149, 150 की तरमीम वर्तमान नक्शा में कम कर दिया गया। जिसको की गत खसरा नम्बर 119 वर्तमान खसरा नम्बर 15 को वर्तमान नक्शा को पूर्व नक्शों अनुसार तरमीम शुद्व किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। बहस सुनने व पैराकार संरकार के जवाब एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर हम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार करना उचित समझते है ।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि ग्राम गुढावासनेवर, पटवार मण्डल नेवर, तहसील आंधी में स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 115 के नवीन खसरा नम्बर 149, 150 व गत खसरा नम्बर 119 के नवीन खसरा नम्बर 154 के नक्शें को पूर्व नक्शानुसार मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शें में दर्शित लाल स्याही अनुसार नक्शा दुरूरस्त करने के आदेश तहसीलदार आंधी को दिये जाते है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार आंधी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 12.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जयपुर